

॥ श्रीः ॥





पुनरोक्षण क्रमांक : /2016

प्रस्तुति दिनांक : 26-5-2016

माननीय न्यायालय अपर अधिवक्ता महोदय, इन्दौर जिला इन्दौर मओप्रओ

दिनांक - 2032-PBM/16



ज्योति पति चेतन

निवासी: पुराना नंबर 230 नया नंबर परिवर्तित

244, इन्दीरा नगर शोपड़ी चौराहा, पंचकुईया रोड

इन्दौर

----- प्रार्थनी

विरुद्ध

११ गोपालपिता स्व. रतनलाल जो टेलर पता- 123, हनुमंत कालोनी, इन्दौर

कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर श्री श्री श्री भाई प्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26-5-16 को प्रस्तुत।

१२ बालकिशन पिता भागोरथ मृत तर्पेवारिस

403/26-05-2016

Bua 12 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

१३ ओमप्रकाश पिता जानकीलाल राठौर निवासी: 203, इन्दिरा नगर चौराहा

पंचकुईया रोड, इन्दौर

१४ दीपा पति मुकेश

निवासी:

१५ पन्नालाल पिता स्व. बालकिशन राठौर मृत

निवासी: मंत्री गली ग्राम तराना जिला उज्जैन

१६ मओ प्रओ शासन तर्फे प्राधिकृत अधिकारी

नगरोय कल्याण शाखा कलेक्टोरेट, इन्दौर मओप्रओ ----- प्रतिप्रार्थीगण

भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरोक्षण

निगरानी

माननीय अपर कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-39/

2015-16 के आदेश दिनांक : 23-4-2016 से असंतुष्ट होकर तद्वर निगरानी

प्रार्थनी की ओरसे प्रस्तुत हैकि:-

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(ज्योति / गोपाल )

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2032पीबीआर / 16

जिला इंदौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर   |
|------------------|--|--|
| 24-6-2016        | <p>आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23-4-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का पटटेधारी नहीं है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा पटटा निरस्त किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदिका प्रकरण में व्यथित पक्षकार नहीं है, इसलिये उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अधिकारिता रहित प्रस्तुत किये जाने के कारण इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p> | <p><br/>(मनोज गोयल)<br/>अध्यक्ष</p> |